न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः—   उम्मेदी लाल मीना (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या :—   63 / 2025

स्टेट जरिये श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

—प्रार्थी

—:बनामः—

पंकज कुमार ग्रोवर पुत्र प्यारेलाल ग्रोवर (विक्रेता)
मैसर्सः—ममता एजेन्सीज, 67/1, पुरानी धान मंडी, संगरिया, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
निवासीः—वार्ड नं. 16, संगरिया, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
विजय कुमार पुत्र ओमप्रकाश (होलसेलर)
मैसर्सः—न्यू विजय ट्रेडिंग कंपनी, मकान नं. 45, 07 ई छोटी, सूरतगढ़ बाईपास, श्रीगंगानगर।
निवासीः—एस—10, रिद्धि सिद्धि 2 एनडी, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर।

—अप्रार्थीयान

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 51

उपस्थितः—

1. श्रीं सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. अप्रार्थीयान स्वयं।

—:निर्णयः—

दिनांक :—30.03.2026

प्रार्थी श्री सुदेश कुमार गर्ग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा, केन्द्रीय दल, जयपुर द्वारा दिनांक 13.09.2024 को समय शाम 07.30 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्सः—ममता एजेन्सीज, 67/1, पुरानी धान मंडी, संगरिया, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर पंकज कुमार ग्रोवर पुत्र प्यारेलाल ग्रोवर (विक्रेता) निवासी—वार्ड नं. 16, संगरिया, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़ मौके पर मिला। उक्त विक्रेता के पास आमजन के बेचान वास्ते 30 कार्टून में रखे खाद्य पदार्थ Cow Ghee (Vastu Brand) लगभग 360 लीटर (360 पैकेट X 01 लीटर वजनी) रखे हुये थे। जिसमें मिलावट का शक होने पर Cow Ghee (Vastu Brand) 04 लीटर (04 पैकेट X 01 लीटर) वजनी विक्रेता से वास्ते जांच क्रय करने की इच्छा व्यक्त की तथा विक्रेता को मौके पर ही फार्म नं. 5 ए भरकर दिया। शेष 356 लीटर Cow Ghee (Vastu Brand) को सीजर फार्म भरकर खाद्य व्यवसायी के परिसर में सीज किया गया। जिस पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। मौके पर ही विक्रेता को उक्त Cow Ghee (Vastu Brand) के खरीद मूल का 1656/—रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं. 5 ए की प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा Cow Ghee (Vastu Brand) कुल 04 लीटर (04 पैकेट X 01 लीटर) वजनी पर चार लेबल तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कर चिपकाया ऊपर से प्रत्येक सील्ड पैकेट को मोटे खाकी कागज से लपेटा किनारों को सफाई से मोड़कर उन पर खाद्य नमूना कोड व अनुक्रमांक एके—3606 एवं अन्य विवरण दर्ज कर चारों पैकेटों पर चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को मोटे खाकी कागज में लपेटा ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित पेपर स्लिप कोड नं. एके—3606 को चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को नियमानुसार मोटे सफेद धागे से बांधा व चार—चार जगह से सील चपड़ी किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नं. 06 की प्रतियां तैयार की एवं प्रत्येक फार्म पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया गया था। इसके पश्चात एक नमूना भाग मय फार्म नं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

श्रीमान खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट, राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, जयपुर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 3613 दिनांक 24.09.2024 जिसके अनुसार नमूना जांच Substandard Food प्राप्त होना पाया गया, भेजकर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2024/13245–47 दिनांक 17.10.2024 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि में पुनः जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा पुनः नमूने के द्वितीय भाग को रैफरल फूड लैब, मैसूर भिजवाया। निदेशक, रैफरल फूड लैब, मैसूर की रिपोर्ट संख्या 1458F/FSSA/2024 दिनांक 12.02.2025 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में उक्त नमूने को Substandard Food होना पाया गया। तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी को वक्त नमूनीकरण खाद्य विक्रेता द्वारा मैसर्स–न्यू विजय ट्रेडिंग कंपनी, 07 ई कोठी, सूरतगढ़ बाईपास, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर का खरीद बिल प्रस्तुत किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कार्यालय के पत्रांक दिनांक 25.11.2024 एवं पत्रांक जे–15 दिनांक 03.01.2025 द्वारा हॉलसेलर को 07 दिवस में फर्म का खाद्य लाइसेंस/प्रोपराईटर पहचान पत्र/जीएसटी रजिस्ट्रेशन एवं संबंधित माल Cow Ghee (Vastu Brand) का क्रय बिल प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया। जिसका कोई प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। ऑनलाईन रिकॉर्ड से फर्म के खाद्य अनुज्ञा पत्र एवं संबंधित के आधार कार्ड की प्रतिलिपियां प्राप्त कर अभियोजन दस्तावेज में शामिल की गई। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Substandard Cow Ghee (Vastu Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के पश्चात विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमानुसार जुर्माना आरोपित करने एवं वक्त नमूनीकरण 356 लीटर सीज किये गये Cow Ghee (Vastu Brand) के अंतिम निस्तारण हेतु आदेश जारी किये जाने हेतु निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीयान को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

अप्रार्थी–1 ने स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा उक्त घी अप्रार्थी–2 से खरीदा था। अप्रार्थी निर्माता नहीं है। अप्रार्थी–2 ने स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि उक्त घी में मुताबिक लैब रिपोर्ट मानकों में केवल नाममात्र का अंतर है।। उक्त घी बंद पैंकिग में था। कई बार वातावरण में बदलाव आने से उक्त कमी आना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त इसमें कोई भी कमी नहीं पाई गई है। उक्त घी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक नहीं पाया गया है। अप्रार्थीयान ने कम से कम जुर्माना लगाने बाबत निवेदन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लैब रिपोर्ट के अनुसार अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थीयान द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीयान से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये Cow Ghee (Vastu Brand) की जांच में Substandard की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीयान द्वारा Substandard Cow Ghee (Vastu Brand) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। अतः अप्रार्थीयान द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थीयान के Substandard कृत्य के लिए धारा 51 के तहत अप्रार्थीयान पर संयुक्त रूप से 15,000/–(अखरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ को निर्णय कि प्रति भेजकर लेख है कि मौके पर सीज घी का नियमानुसार निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की एक–एक प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़